संख्या-14/2020/46/कनिप्र/26-3-2020-13(163)/91

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. निदेशक,
   समाज कल्याण,
   उ0प्र0 लखनऊ।
2. संबंधित जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 25 फरवरी,2020
समाज कल्याण विभाग

विषय: अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना के वित्तीय वर्ष 2019-20 के अवशेष लक्ष्यों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 42/2019/1029/क0नि0प्र0/ 26-3-2019-13(163)/91 दिनांक 07 नवम्बर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अवशेष 8000 भौतिक लक्ष्यों को संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण एवं कार्यदायी संस्थाओं का चयन किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- नि:शुल्क बोरिंग योजना हेतु निर्धारित किये जा रहे जनपदवार लक्ष्यों की पूर्ति हेतु चयनित कार्यदायी संस्थाओं को नामित किया जाता है जिनके द्वारा निर्धारित/आवंटित बोरिंग कार्य को गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा। बोरिंग मानक के अनुरूप न कराये जाने अथवा फर्जी बोरिंग/ डुप्लीकेसी होने की दशा में कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक:- यथोक्त ।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या- /2020/ /(1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- संबंधित समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास),उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह योजनान्तर्गत बोरिंग कराये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थियों/स्थल चयन शीघ्र करते हुए चयनित सूची नामित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद/इलाहाबाद।
5- अध्यक्ष ग्रामोद्योग विकास संस्थान सी-1/3/418 विशाल खण्ड-3 गोमती नगर लखनऊ।
6- सचिव, एकीकृत सहकारी विकास संघ लि0, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-14/2020/46/क0नि0प्र0/26-3-2019-13(163)/91

दिनांक 25 फरवरी,2020 का संलग्नक

(बोरिंग के कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्थाएं)

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	कार्यदायी संस्था का नाम
1	2	3	4
1	अलीगढ़	-	-
2	मथुरा	-	-
3	मैनपुरी	-	-
4	एटा	-	-
5	बुलन्दशहर,	-	-
6	बरेली	100	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
7	शाहजहांपुर	100	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
8	पीलीभीत	100	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
9	बदायूं	400	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
10	मुरादाबाद	300	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
11	जे0पी0 नगर	250	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
12	रामपुर	200	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
13	बिजनौर	400	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
14	प्रयागराज (इलाहाबाद)	-	
15	कानपुर नगर	150	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम इलाहाबाद।
16	कानपुर देहात	150	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम इलाहाबाद।
17	इटावा	200	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
18	औरैया	200	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
19	कन्नौज	100	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
20	गाजीपुर	300	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
21	जौनपुर	100	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
22	गोरखपुर	100	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
23	देवरिया	-	-
24	कुशीनगर	300	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
25	महाराजगंज	200	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
26	बस्ती	300	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
27	सन्त कबीर नगर	300	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
28	सिद्धार्थ नगर	200	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।

---2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	कार्यदायी संस्था का नाम
1	2	3	4
29	गोण्डा	400	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
30	बलरामपुर	200	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
31	बहराइच	300	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
32	श्रावस्ती	300	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
33	आजमगढ़	200	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
34	मऊ	200	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
35	संभल	-	-
36	अयोध्या (फैजाबाद)	300	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
37	अम्बेडकर नगर	100	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
38	सुल्तानुपर	100	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
39	बाराबंकी	100	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
40	उन्नाव	200	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
41	रायबरेली	300	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
42	सीतापुर	300	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
43	हरदोई	150	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम इलाहाबाद।
44	खीरी	300	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
45	कांशीराम नगर	-	-
46	फर्रुखाबाद	-	-
47	बलिया	100	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
	योग	8000	

(डा0 रमेश चन्द्र तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।